UPBS120001852020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 143/2020

राघवराम बनाम लवकुश

25.10.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। दौरान तर्क पक्षकारों से सुलह समझौते के बारे में पूछा गया, किन्तु अस्वीकार किए जाने की दशा में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किए गए –

01. क्या वादीगण विवादित भूमि शिकमी नम्बर 129 प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी एवं उसमें स्थित घारी, चरन के मालिक व काबिज हैं?
02. क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?
03. क्या वादीगण द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
04. क्या प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के असंयोजन एवं कुसंयोजन का दोष है?
05. क्या दावा वादीगण धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
06. क्या वादीगण किसी अन्य अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?
07. क्या प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता विवादित भूमि अक्षर अ,ब,स,द एवं य,र,ल,व प्रदर्शित नक्शा नजरी काउन्टरक्लेम का मालिक व काबिज है?
08. क्या प्रतिवादी/काउन्टरक्लेमकर्ता विवादित भूमि अक्षर क,ख,ग,घ प्रदर्शित नक्शा नजरी काउन्टरक्लेम में स्थित अवैध निर्माण को ध्वस्त करा पाने का अधिकारी है?
09. क्या काउन्टरक्लेम अल्पमूल्यांकित है?
10. क्या काउन्टरक्लेमकर्ता द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
11. क्या काउन्टरक्लेम कालबाधित है?
12. क्या काउन्टरक्लेम धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
13. क्या काउन्टरक्लेम मौन स्वीकृति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है?
14. क्या काउन्टरक्लेम धारा 106 टी०पी० एक्ट से बाधित है?
15. क्या काउन्टरक्लेमकर्ता किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं० 2, 3 एवं 9, 10 दिनांक 25.11.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान बस्ती।